55

न्यायालय श्रीमान सदस्य रेवेन्यू बोर्ड ग्वालियर भोपाल संभाग म0प्र0

III/निगरानी/सीहोर/भू0रा0/2018/0506

1- रियासतअली पुत्र शौकतअली आयु वयस्क नि0इटावा देवास
2- शराफत अली पुत्र शौकत अली निवासी इटावा देवास
3- सजदा बी उर्फ सईदा बी पुत्री शौकतअली पत्नि फियाजअली निवासी नारियलखेड़ा भोपाल ।
4- अनीसा बी पुत्री शौकतअली पत्नि शकूरखाँ नि0खजराना इंदौर
5- आबिद अली वल्द हामिद अली नि0मुसखानगर देवास म0प्र0
6- समीर अली वल्द हामिदअली नि0मुसखानगर देवास म0प्र0
7- रफीका बी बेवा हामिदअली नि0मुसखानगर देवास म0प्र0
8- रशीदा उर्फ राबिया बी बेवा शौकतअली नि0इटावा देवास
सभी कृषक ग्राम मुरावर तह0आष्टा जिला सीहोर म0प्र0

— रिवीजनकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्ध

1- दीवानसिंह पुत्र घासीराम नि0ढिंगलाखेड़ी तह0आवंतीपुर बड़ोदिया जि0शाजापुर {म0प्र0}
2- घासीराम सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी तह0आवंतीपुर बड़ोदिया जि0शाजापुर {म0प्र0}
3- नारायणसिंह पुत्र हरनाथसिंह नि0ढिंगलाखेड़ी तह0आवंतीपुर बड़ोदिया जि0शाजापुर {म0प्र0}
4- खानसिंह पुत्र भीकमसिंह नि0ढिंगलाखेड़ी
5- बाबूलाल पुत्र हीरालाल नि0ढिंगलाखेड़ी
6- मदनसिंह पुत्र प्रहलादसिंह सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी
7- बाबूलाल पुत्र भागीरथ, जाति नाई नि0ढिंगलाखेड़ी
8- गोपीलाल पुत्र गणपतसिंह जाति नाई नि0ढिंगलाखेड़ी
9- कृपालसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी
10- करणसिंह पुत्र शेरसिंह सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी
11- मनारसिंह पुत्र बलवंतसिंह सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी
12- गप्पूसिंह पुत्र शेरसिंह सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी
13- कल्याणसिंह पुत्र नरवरसिंह सैंधव नि0ढिंगलाखेड़ी
सभी नि0ढिंगलाखेड़ी तह0आवंतीपुर बड़ोदिया ---अनावेदकगण
जिला शाजापुर म0प्र0 रेस्पान्डेन्ट्स..2

9/1/18
12/2/18

रिवीजन आवेदन विरूद्ध आदेश प्र0क्र0 02/अ70/16-17 पारित द्वारा तहसीलदार जावर जिला सीहोर ,अंतर्गत धारा 50 भू0रा0सं0

- -

श्रीमानजी,

आवेदनकर्ता/रिवीजनकर्ता की ओर से निम्न तथ्यों एंव विधि आधारों पर रिवीजन प्रस्तुत है -

(1) यहकि आवेदकगण ने अपने स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि ख0नं0 750/3/ग , 750/4 , 754/2/2 , 754/3/1 , 754/3/2 , 759/2/2 , 759/3/2 , 759/4 , 760/2 , 760/3 , 760/4/2 , 760/5/2 , 1066/743/1 , 1066/743/2 , 1066/743/3 कुल खसरा किता 15 कुल रकबा 0.868 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम मुरावर तह0जावर की हदबंदी प्रकरण क्र0 [illegible] करवाई थी जो दि0 14/10/16 को पटवारी एंव गिरदावर द्वारा मौके पर पहुँचकर की गई थी उसके आधार पर आवेदकगण ने धारा 250 भू0रा0सं0 के अधीन माननीय तहसीलदार महोदय तहसील जावर जिला सीहोर के समक्ष कब्जा प्राप्ति का आवेदन प्रस्तुत किया इस पर माननीय तहसीलदार जावर के द्वारा प्र0क्र0 2अ70/16-17 कायम किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की । अनावेदकगण को यानि रेस्पान्डेंटगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किया गया इस प्रकरण में उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में माननीय अधिनस्थ न्यायालय प्रकरण में कई पेशियों पर प्रशासनिक कार्यों में व्यस्थ रहने से प्रकरण में अनुपस्थित रहे है इस कारण प्रकरण बढता रहा है ।

(2) यहकि प्रकरण गवाही में लगाने के बाद आवेदकगण/रिवीजनकर्तागण के द्वारा हदबंदी साबित करने के लिये हलका पटवारी व गिरदावर को रिकार्ड सहित तलब किया गया है गिरदावर पटवारी को तलब करने और आहूत करने का तलवाना प्रस्तुत किया गया है । परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बावजूद

..2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सीहोर / 2018 / भूरा / 0506

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
23 –5–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जावर जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 2 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण में आवेदन अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.17 को साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इससे से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक कमांक–5 के आदेश पत्रिका में हस्ताक्षर अंकित नहीं कराये गये हैं इससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक–5 का उपस्थिति का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। 4– आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य है कि आवेदक कमांक–5 के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है कि उसको साक्ष्य का अवसर नहीं मिला है। अतः तहसीलदार जावर जिला सीहोर प्रकरण कमांक 2 / अ–70 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 17.11.17 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण	

तहसीलदार जावर जिला सीहोर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अनावेदक कमांक–5 को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करे। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य